



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-19/2018-461

दिनांक :- 17.06.21

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/कोडरमा वन प्रमंडल/बोकारो वन प्रमंडल/धनबाद वन प्रमंडल/रामगढ़ वन प्रमंडल/गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल/गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2024-25 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत कंटीले तार से घेरान के साथ नदी तट वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल **रु0 152.674 लाख (एक करोड़ बावन लाख सड़सठ हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 4/यो0ब0-09/2018-16 व0प0 दिनांक-26.07.2018 एवं आवंटन आदेश संख्या-04/यो0 बजट-25/2020-09/आ0 व0प0 दिनांक-01.06.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 152.674 लाख (एक करोड़ बावन लाख सड़सठ हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060178959010103	147.395
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060178959010323	5.279
कुल :-		152.674

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2** एवं ऑन लाईन उप-आवंटन **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060178959010103 तथा 19S24060178959010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।
7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।
8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।
12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ-साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ-साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।



18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-19/2018- 461 दिनांक- 17.06.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर/
हजारीबाग/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/चतरा/हजारीबाग/बोकारो/
गिरिडीह/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-19/2018- 461 दिनांक- 17.06.2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/हजारीबाग/
चतरा/कोडरमा/बोकारो/धनबाद/रामगढ़/गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण (नदी के दोनों किनारे वृक्षारोपण) का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि०मी० में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि०मी० 10 यूनिट)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				13399.64	479.90	13879.54
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा	7.00	70.00	9.380	0.336	9.716
2	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा	10.00	100.00	13.399	0.480	13.879
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	8.00	80.00	10.720	0.384	11.104
4	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग	8.00	80.00	10.720	0.384	11.104
5	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	8.00	80.00	10.720	0.384	11.104
6	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	8.00	80.00	10.720	0.384	11.104
7	कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा	8.00	80.00	10.720	0.384	11.104
8	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	10.00	100.00	13.399	0.480	13.879
9	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	15.00	150.00	20.099	0.719	20.818
10	रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़	8.00	80.00	10.720	0.384	11.104
11	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह	10.00	100.00	13.399	0.480	13.879
12	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह	10.00	100.00	13.399	0.480	13.879
योग :-		110.00	1100.00	147.395	5.279	152.674

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300	
पौधों की दूरी	2mx3m	
1 यूनिट का परिमाण	2000 m ²	100*20
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m	
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	311.33	रुपये

क. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 315.33 311.33 ✓					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1307.59		1307.59
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/यूरिया, जैविक खाद, किटनाशक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	204.90	204.90
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7471.92	0.00	7471.92
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.2	373.60	275.00	648.60
5	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4246.54		4246.54
	कुल:-		43.04	13399.64	479.90	13879.54

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

आलू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-19/2018/461

दिनांक - 17-Jun-2021

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27079	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 03 - मजदूरी	938,000.00 रुपये नौ लाख अड़तीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27080	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	1,339,900.00 रुपये तेरह लाख उनचासी हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27081	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	1,072,000.00 रुपये दस लाख बहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये तैतीस लाख उनचास हजार नौ सौ
क्रमिक योग:

3,349,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27082	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 03 - मजदूरी	1,072,000.00 रुपये दस लाख बहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27083	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 03 - मजदूरी	1,072,000.00 रुपये दस लाख बहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27085	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	1,072,000.00 रुपये दस लाख बहत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये पैसठ लाख पैसठ हजार नौ सौ

3,216,000.00

क्रमिक योग:

6,565,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DIV. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27086	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	1,072,000.00 रुपये दस लाख बहत्तर हजार 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27087	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	1,339,900.00 रुपये तेरह लाख उनचासी हजार नौ सौ 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060178959010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	27088	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	2,009,900.00 रुपये बीस लाख नौ हजार नौ सौ 
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड़ नौ लाख सित्यासी हजार सात सौ

4,421,800.00

क्रमिक योग:

10,987,700.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27096	GRHFWL001 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	33,600.00 रुपये तैतीस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27098	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अड़तालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27099	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड़तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड़ अड़तालीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ

120,000.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)

14,859,500.00

ADDL. PCCED, DEV. INDIAN RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27100	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड़तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27101	CTRFOR002 R.THANGA PANDIAN D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड़तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27102	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड़तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड उनचास लाख चौहत्तर हजार सात सौ

115,200.00

क्रमिक योग:

14,974,700.00

(NAME KISHORE SINGH)

ADDL. PRCE DEV. HARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27103	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	38,400.00 रुपये अड़तीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27104	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	48,000.00 रुपये अड़तालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27105	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	71,900.00 रुपये इकहत्तर हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये एक करोड इकावन लाख तैलीस हजार

158,300.00

क्रमिक योग:

15,133,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCF DEPT. JHARKHAND

RANCH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27106	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE	38,400.00 रुपये अडतीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
23	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27107	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
24	S 19 24060178959010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	27108	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	48,000.00 रुपये अडतालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

योग:

रुपये एक करोड बावन लाख सड़सठ हजार चार सौ

134,400.00

क्रमिक योग:

15,267,400.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. BCE & DEV. JHARKHAND

RANCH